



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072024-255668  
CG-DL-E-23072024-255668

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 396]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 23, 2024/श्रावण 1, 1946

No. 396]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 23, 2024/SHRAVANA 1, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2024

सं. 32/2024-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 435(अ) - वित्त अधिनियम 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 69 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में,

- क्रम सं. 15 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "1.4%" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- क्रम सं. 15ख के सामने, स्तंभ (4) में, "प्रविष्टि के स्थान पर, "0.35%" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- क्रम सं. 15ग के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "0.35%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

- (4) क्रम सं. 15घ के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, “1%” प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (5) क्रम सं. 15ङ के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, “0.35%” प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (6) क्रम सं. 15च के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, “1%” प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (7) क्रम सं. 15छ के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, “1%” प्रविष्टि रखी जाएगी।

2. यह अधिसूचना 24 जुलाई, 2024 को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 334/03/2024-टीआरयू]  
विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

**टिप्पणः** - मूल अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021 को सा.का.नि. 69(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 11/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 19 फरवरी, 2024, जिसे सा.का.नि. 116 (अ), दिनांक 19 फरवरी, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2024

#### No. 32/2024-Customs

**G.S.R. 435(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 11/2021 – Customs, dated the 1<sup>st</sup> February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 69(E), dated the 1<sup>st</sup> February, 2021, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- 1) against Sl. No. 15A, in column (4), for the entry, the entry “1.4%” shall be substituted;
- 2) against Sl. No. 15B, in column (4), for the entry, the entry “0.35%” shall be substituted;
- 3) against Sl. No. 15C, in column (4), for the entry, the entry “0.35%” shall be substituted;
- 4) against Sl. No. 15D, in column (4), for the entry, the entry “1%” shall be substituted;
- 5) against Sl. No. 15E, in column (4), for the entry, the entry “0.35%” shall be substituted;
- 6) against Sl. No. 15F, in column (4), for the entry, the entry “1%” shall be substituted;
- 7) against Sl. No. 15G, in column (4), for the entry, the entry “1%” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 24<sup>th</sup> day of July, 2024.

[F. No. 334/03/2024-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

**Note:** The principal notification No. 11/2021-Customs, dated the 1<sup>st</sup> February, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 69(E), dated the 1<sup>st</sup> February, 2021 and last amended *vide* notification No. 11/2024-Customs, dated the 19<sup>th</sup> February, 2024 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 116 (E), dated the 19<sup>th</sup> February, 2024.